लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3890

12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

समर्थ योजना

3890. श्री जी. सेल्वम:

श्री नवसकनी के.;

श्री सी. एन. अन्नादुरई:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण (समर्थ) योजना के आरंभ से लेकर अब तक इसके अंतर्गत तमिलनाडु में कितनी महिलाओं, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने समर्थ योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तमिलनाडु में उद्योग संघों, वस्त्र विनिर्माण इकाइयों अथवा प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ भागीदारी की है;

(ग) यदि हां, तो भागीदार संस्थाओं अथवा एजेंसियों का ब्यौरा क्या है, राज्य में स्थापित प्रशिक्षण केन्द्रों की संख्या कितनी है और ऐसी भागीदारी के माध्यम से क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(घ) क्या सरकार का तमिलनाडु में उभरते वस्त्र समूहों और पिछड़े जिलों को शामिल करने के लिए समर्थ योजना का विस्तार करने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो इन जिलों में कार्य योजना, बजटीय प्रावधानों, प्रशिक्षण और रोजगार नियोजन के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है; और

(च) इस योजना के अंतर्गत तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षणोत्तर रोजगार संपर्क और उद्यमशीलता विकास सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (ग): वस्त्र मंत्रालय संगठित वस्त्र और संबंधित क्षेत्रों में रोजगार सृजन में उद्योग के प्रयासों को पूरक बनाने के लिए मांग-आधारित, प्लेसमेंट-उन्मुख कौशल कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से समर्थ (वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना) को लागू कर रहा है, जिसमें संगठित क्षेत्र में स्पिनिंग और विविंग को छोड़कर, वस्त्रों की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला शामिल है। समर्थ योजना अखिल भारतीय स्तर पर लागू की गई है। योजना को मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

वर्तमान में तमिलनाडु में, 729 सक्रिय प्रशिक्षण केंद्रों के साथ 63 कार्यान्वयन भागीदार हैं, जिनमें वस्त्र उद्योग और वस्त्र संघ शामिल हैं, जो प्रवेश स्तर और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में कार्यरत हैं। दिनांक 07.08.2025 तक, तमिलनाडु राज्य में कुल 87,853 प्रशिक्षित (उत्तीर्ण) में से 80,034 महिलाएं, 24,616 अनुसूचित जाति और 10,006 अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी हैं।

(घ) से (च): समर्थ एक मांग-आधारित योजना है जिसे अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया गया है और लक्ष्य का कोई राज्य-वार आवंटन नहीं है। कार्यान्वयन भागीदारों को प्रशिक्षण लक्ष्य आवंटित किए जाते हैं, और यह योजना पूरे भारत में प्रशिक्षण केंद्र खोलने या स्थापित करने की अनुमति देती है। इस योजना में क्रमशः प्रवेश स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम और कौशल उन्नयन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित (उत्तीर्ण) लाभार्थियों में से न्यूनतम 70% और 90% को रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है। प्रशिक्षण के बाद रोजगार लिंकेज सुनिश्चित करने के लिए, दिशानिर्देशों के अनुसार संगठित क्षेत्र में छह माह की अवधि के लिए नियुक्ति का प्रावधान है।

****